

रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 292] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 1979/आषाढ़ 25, 1901

No. 292] NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 1979/ASADHA 25, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1979

क्र. आ. 409 (अ) .—केंद्रीय सरकार, तस्कन और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति
समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 27 की उप-धारा (2) के
साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त

377GI/79

(711)

Duplicate

मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के आदेश संख्या का. आ. 41 (अ) (फा. संख्या 1205/एफ. सं. 414/2/76-आई. टी. (आई.एन.वी.)), तारीख 15 जनवरी, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में, स्तम्भ (2) में, क्रम सं. 2 के सामने "श्री एन. सुब्रमण्यन्", शब्दों और अक्षर के स्थान पर "श्री हर गोविन्द" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

[सं. 2/फा. सं. प्रशा.(3)/79-स.फे.मा.]

एन. पी. भट, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 16th July, 1979

S. O. 409(E).—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (2) of section 27 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S. O. 41(E) [No. 1205/F. No. 414/2/76-II (INV.)], dated the 15th January, 1976, namely :—

In the Table below the said notification, in column (2), against Serial No. 2, for the words and letters "Shri N. Subramanian", the words and letters "Shri Har Govind" shall be substituted.

[No. 2/F. No. Admu.(3)/79-Safema]

N. P. BHAT, Deputy Secy.